अल्पकालिक मृत पशु शव निस्तारण ठेका / नीलामी सूचना वर्ष 2017–2018

जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्र में पशु शव निस्तारण कार्य का ठेका/नीलामी वर्ष 2017–18 के लिये किया जाना है, जिसके लिये शासन के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–858/33–2–91–57 डब्लू /91 दि0–30.03.1996 में उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार खादी ग्रामोघोग बोर्ड द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों जो कार्यशील हो आवश्यक अभिलेखों सहित खण्डवार /न्याय पंचायतवार अपना आवेदन पत्र दिनांक– 25.03.2017 को दिन में 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकती है। किंतु जिला पंचायत, बांदा के किसी भी वर्ष के बकायेदार सहकारी समितियों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें। जब तक कि सहकारी समितियों द्वारा पंचायत की अवशेष ठेका धनराशि जमा नहीं की जाती हैं। जिन विकास खण्डों में वैद्य सहकारी समितियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होंगे उनकी नीलामी पैत्रिक/पेशेवर व्यक्तियों के मध्य निम्न विवरण के अनुसार की जायेगी :–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	जमानत धनराशि	नीलामी तिथि
1	महुआ, नरैनी, बिसण्डा, बबेरू, कमासिन, तिन्दवारी, जसपुरा, बडोखर खुर्द (अवशेष न्याय पंचायत)	मु0 15.00 हजार रू0 प्रति न्याय पंचायत	दिनांक– 30.03.2017 समय प्रातः 11.00 बजे से

दिनांक – 30.03.2017 को उपरोक्तानुसार जिन विकास खण्डों के मृत पशु शव निस्तारण कार्य की ठेका नीलामी नहीं होगी उनकी नीलामी आगामी प्रत्येक सोमवार को नीलामी समिति के समक्ष कार्यालय, जिला पंचायत, बांदा में की जायेगी। पैत्रिक एवं पेशेवर व्यक्तियों को बोली से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त पैत्रिक पेशेवर होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निर्धारित जमानत धनराशि जमा करना होगा। सम्बन्धित नीलामी सूचना बांदा जिले की वेबसाइट http://banda.nic.in पर देखी जा सकती है। अन्य शर्तो की जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(रणमत सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बांदा

कार्यालय जिला पंचायत, बांदा

पत्रांक / 037 /ह0च0ठे0/2016–17/दिनांक – 16/03/2017
प्रतिलिपि – उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा को अवलोकनार्थ।
2. कार्यालय जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार एवं नगर पालिका परिषद बांदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
3. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बांदा।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बांदा।
5. व्यवस्थापक दैनिक जागरण कानपुर एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक श्री इण्डिया, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
6. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता (सदस्य समिति) जिला पंचायत, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित समय में कार्यालय जिला पंचायत, बांदा में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार खुली नीलामी बोली कार्यवाही सम्पादित करायें।
7. कैशियर जिला पंचायत, बांदा को इस निर्देश के साथ कि वे निर्धारित तिथियों में कार्यालय में उपस्थित रहकर नीलाम समिति के निर्देशानुसार बोलीदाताओं की जमानत/ठेका धनराशि जमा करायें।
8. समस्त वसूली स्टाफ, जिला पंचायत, बांदा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
9. समस्त हड्डी चमड़ा ठेकेदार जिला पंचायत, बांदा।
10. जिला पंचायत, बांदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

जिला पंचायत ★ कार्यालय ★

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाँदा